Registrar
कुलसचिव

Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith,
Varanasi-221002.
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,
वाराणसी–221002.

पत्रांक– कु0स0 / वि0प्रको0 / 254 / 2018 दिनांक – 31जुलाई, 2018

सेवा में,
समस्त संकायाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष / निदेशक,
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,
वाराणसी।

विषय– शैक्षणिक सत्र 2018–19 में समस्त प्रकार की दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत ऑनलाइन –आवेदन पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर प्रमुख सचिव उ0प्र0 शासन समाज कल्याण अनुभाग–3 के पत्रांक संख्या–133 / 2018 / 1213 / 26.3.2018–4(358) / 07 टी0सी0III, दिनांक 02 मई, 2018 के द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2018–19 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत छात्र–छात्राओं से आनलाइन आवेदन करने एवं संस्था द्वारा अग्रसारण करने हेतु निम्नवत् संशोधन समय सारणी निर्गत की गई है–

क्र0स0	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	दशमोत्तर समूह 1,2,3 व 4
1	छात्र–छात्राओं द्वारा आनलाइन आवेदन किया जाना।	01 जुलाई, 2018 से 31 अगस्त , 2018 तक
2	छात्र द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियाँ (हाईस्कूल, इण्टरमीडियट रोल नम्बर तथा आय, जाति प्रमाण पत्र की क्रमांक तथा आवेदन का क्रमांक एवं आय तथा आधार नम्बर) को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ द्वारा छात्रवृत्ति के पोर्टल पर स्टूडेन्ट सेक्शन में प्रदर्शित किया जाना।	छात्र द्वारा आनलाइन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिन्ट आउट निकालने से पूर्व 03 कार्य दिवसों में।
3	आनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र–छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	आवेदन पत्र भरने के 06 दिन के अन्दर विलम्बत् 06 सितम्बर, 2018 तक
4	छात्र / छात्रा द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं संलग्न अभिलेखों से छात्र / छात्रों के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना, सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	02 जुलाई, 2018 से 12 सितम्बर, 2018 तक
5	छात्र द्वारा आवेदन पत्र नवीनीकरण (Renewal)न करने का कारण संस्था द्वारा ऑनलाइन छात्र के सम्मुख अंकित किया जाना एवं जिलाधिकारी, शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं कल्याण विभाग के अधिकारियों द्वारा टीम बनाकर संस्था एवं छात्रों का भौतिक सत्यापन किया जाना।	13 सितम्बर, 2018 से 15 नवम्बर, 2018 तक
6	जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11–12 हेतु) एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षाधिकारी द्वारा संस्था की मान्यता, वास्तविक छात्र संख्या आदि की प्रमाणिकता को ऑनलाइन सत्यापित करना।	18 सितम्बर, 2018 तक

Recived
18/08.18

7	PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा वापस प्राप्त किया जाना, आवेदन पत्र में अंकित आधार नम्बर को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI)से सत्यापन किया जाना एवं एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण किया जाना।(नवीनीकरण के छात्रों के लिये)	13 सितम्बर से 20 सितम्बर, 2018 तक
8	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा शुद्ध डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना एवं छात्रों को छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृत करना (नवीनीकरण के छात्रों के लिये)	24 सितम्बर, 2018 तक
9	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से शुद्ध डाटा एवं स्वीकृत डाटा लॉक किया जाना(नवीनीकरण के छात्रों के लिये)	26 सितम्बर, 2018 तक
10	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर नवीनीकरण के छात्रों का एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से माँग सृजित कराना।	28 सितम्बर, 2018 तक
11	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर नवीनीकरण के छात्रों को कोषागार के ई–पेमेण्ट के तहत PFMS प्रणाली के माध्यम से छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खातों में सीधे धनराशि अन्तरित किया जाना।	01 अक्टूबर, 2018 तक
12	प्रत्येक जनपद में छात्रवृत्ति वितरण दिवस समारोह/कार्यक्रम आयोजित करना	02 अक्टूबर, 2018 को

कृपया उपरोक्त समय सारणी के अनुसार शैक्षिक सत्र 2018–19 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनार्गत छात्र–छात्राओं से ऑनलाइन आवेदन पत्र पूरित करवाने का कष्ट करें, साथ ही साथ निम्न दिशा निर्देशों का भी कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें–

1. प्रथम वर्ष में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को छोडकर जिन्होंने प्रथम या द्वितीय वर्ष में छात्रवृत्ति का ऑनलाइन आवेदन किया था, वे केवल नवीनीकरण ही करेगें अन्यथा की स्थिति में उनका आवेदन पत्र निरस्त हो जायेगा।
2. **छात्र/छात्राओं को अपना बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य है।**
3. **छात्र/छात्राओं का बैंक खाता जनधन योजनान्तर्गत न खुला हो तथा वह सुचारू रूप से संचालित हो।**
4. **सेमेस्टर परीक्षा वाले छात्र/छात्रायें गत वर्ष के परीक्षा फल में यदि वे प्रथम सेमेस्टर में हो तो विगत वर्ष का प्राप्तांक भरेगे और यदि वे तृतीय सेमेस्टर के है तो वे प्रथम सेमेस्टर का प्राप्तांक ही भरेगें।**
5. राज्य सरकार के आदेश के क्रम में छात्रों को शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में केवल विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क ही भुगतान किया जायेगा।
6. छात्र/छात्राओं द्वारा भरा गया ऑनलाइन आवेदन पत्र (जाति, आय एवं निवास प्रमाण–पत्र का क्रमांक, दिनांक, खाता संख्या आदि) स्वंम जॉच करने के पश्चात् ही सम्बन्धित विभाग में जमा करें, तथा विभाग भी अपने स्तर से जॉच करने के पश्चात् ही सत्यापित करें, अन्यथा की स्थिति में विभाग ही जिम्मेदार होगा।
7. छात्र/छात्राओं द्वारा छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिये गये विवरण को अपने प्रमाण पत्रों (नाम, आवेदन संख्या, दिनांक एवं धनराशि आदि) से अवश्य मिलान करने के पश्चात् ही उसकी हार्ड कापी निकाले तथा उसको विभाग में जमा करने के साथ–साथ अपने पास भी एक कापी सुरक्षित रखने का कष्ट करे।
8. **वर्ष 2018–19 में सभी छात्रों को आवेदन पत्र में आधार नम्बर तथा नवीनीकरण के छात्रों को आधार नम्बर के साथ इनरोलमेंट नम्बर भरना अनिवार्य है।**

9. विभाग छात्र/छात्राओं को उनके फार्म जमा की रिसीविंग जरूर दे, जिससे कि पता चले कि छात्र ने कब विभाग में फार्म जमा किया था और विभाग कब विशेष प्रकोष्ठ को जमा कर रहे है।

10. जिन छात्रों ने विगत वर्ष में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का फार्म भरा और यदि वे नवीनीकरण का फार्म नहीं भर रहे है तो ऐसे छात्रों का कारण सहित विवरण विशेष प्रकोष्ठ को पृथक से अवश्य उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

11. **वर्ष 2018–19 में छात्र/छात्राओं द्वारा ऑन लाइन फार्म सही से भरा जाय यदि वे गलत फार्म भरते है तो यदि उनके द्वारा भरे गये फार्म में कोई भी आपत्ति (बैंक खाता संख्या, जाति प्रमाण पत्र आय प्रमाण पत्र एवं आय) समाज कल्याण विभाग द्वारा आती है तो उसको विश्वविद्यालय द्वारा तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।**

12. छात्र/छात्राओं द्वारा भरा गया आवेदन पत्र का विवरण (रजिट्रेशन न0 एवं मोबाईल न0) विभाग अपने पास (स्कालर रजिस्टर में या रजिस्टर में) सुरक्षित रखें, जिससे यदि छात्र अगले वर्ष छात्रवृत्ति का आवेदन नहीं करता है, तो उसने क्यों नहीं आवेदन किया इसकी सूचना विशेष प्रकोष्ठ विभाग को देनी होगी।

कृपया उक्त सूचना को अपने स्तर से छात्र–छात्राओं में प्रचारित कराने कष्ट करें।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ–

1. वैयक्तिक सहायक, कुलपति जी, म0गां0काशी विद्यापीठ, वाराणसी।
2. वित्त अधिकारी, म0गां0काशी विद्यापीठ, वाराणसी।
3. नोडल अधिकारी, छात्रवृत्ति म0गां0काशी विद्यापीठ, वाराणसी।
4. समस्त प्राचार्य, राजकीय/अनुदानित/स्वत्तिपोषित को इस आशय से की उक्त सूचना को अपने महाविद्यालय में प्रसारित करें।
5. श्री विनोद कुमार,संगणक प्रभारी,को इस आशय से की उक्त सूचना को विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
6. वी0आर0एस0 ऐजेन्सी को इस आशय से की उक्त सूचना को विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय के पोर्टल पर अपलोड करने का कष्ट करें।

कुलसचिव